बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्याः–ल0सि0मों0–आवंटन (2019–20) 42/19 (पार्ट–II)-1404 (मो0) पटना, दिनांकः–03/7/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाइ प्रमंडल, पटना।

विषयः– **नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय भवन (जल भवन) हेतु शेष आवंटन तथा एकरारित राशि से 20 प्रतिशत से अधिक वृद्वि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंग– **इस कार्यालय का पत्रांक 927 (मो0) दिनांक 14.05.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको निदेश दिया गया था कि मदों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना स्तर से गठित तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करावें। आपके द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

पुनः निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्य के मदों में बढ़ोत्तरी की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी वाले मदों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करावें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
2/3/7/2020
अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांकः– 1404 (मो0) /पटना, दिनांकः– 03/7/2020

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/7/2020
अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांकः– 1404 (मो0) /पटना, दिनांकः– 03/7/2020

प्रतिलिपिः– श्री मनोज कुमार, अनिमा कन्सट्रकशन प्रा0 लि0, मजिस्ट्रेट कॉलानी, रोड न0–4 ए0, गृह संख्या–416/1, आशियाना नगर, पटना, पिन–800025 को सूचनार्थ प्रेषित।

2/3/7/2020
अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\ASHUTOSH-2020\JUNE\AWANTAN PATNA.DOC

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

संo–लoसिंoमo–आवंटन (2019–20–42/2019–(Part-I)– 927 (मॉ०) पटना, दिनांक– 14/5/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना।

विषयः–नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय भवन (जल भवन) हेतु शेष आवंटन तथा एकरारित राशि से 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक–778, दिनांक–21.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा संयुक्त कार्यालय भवन निर्माण कार्य में भुगतान हेतु 122.00 लाख रूपये की अधियाचना की गयी है तथा मदों में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी एक तुलनात्मक विवरणी भी दी गयी है।

तुलनात्मक विवरणी में योजना के कुछ मदों में 20 प्रतिशत से अधिक तथा कुछ मदों में 20 प्रतिशत से कम की बढ़ोत्तरी हुई है।

जिन मदों में बढ़ोत्तरी 10 प्रतिशत तक हुई है उसकी स्वीकृति के लिए कार्यपालक अभियन्ता सक्षम प्राधिकार है। जिन मदों में बढ़ोत्तरी 15 प्रतिशत तक हुई है उसकी स्वीकृति के लिए अधीक्षण अभियन्ता तथा 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की स्वीकृति के लिए मुख्य अभियन्ता सक्षम प्राधिकार है। जिन मदों में बढ़ोत्तरी 20 प्रतिशत से अधिक हुई है, उसकी स्वीकृति विभागीय स्तर से दी जानी है।

जिन मदों में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र में है, उनकी स्वीकृति उन्हीं के स्तर से दी जायगी। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा स्वीकृति सम्बन्धी पत्र भी निर्गत करना होगा। जिन मदों में बढ़ोत्तरी 20 प्रतिशत से अधिक हुई है। उसकी समीक्षा मुख्य अभियन्ता स्तर की तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति करेगी तथा अपनी अनुशंसा विभाग को करेगी। तकनीकी बीड समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी वाले मदों की स्वीकृति विभाग स्तर से देने पर निर्णय लिया जायगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि मदों की मात्रा में बढ़ोत्तरी पर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

14/5/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 927 (मॉ०) /पटना, दिनांक–14/5/2020

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWAON-2020\LETTER-\MAY-2020\JAL BAHAWN- AWANTAN-14-05-2020.DOCX